

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 (इंडिया)

सं.4-आईटीपीओ(13)/ई-/2018

दिनांक : 11.09.2020

परिपत्र संख्या प्रशा/ 26 /2020

अनुबंध के आधार पर हिंदी अनुवादक की नियुक्ति

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन अनुबंधात्मक आधार पर 1 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए रुपये 30,000/- प्रति माह के समेकित पारिश्रमिक पर दो हिंदी अनुवादकों के पद हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार आवेदन आमंत्रित करता है।

हिंदी अनुवादक पद हेतु नियुक्ति के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:

सं.		हिंदी अनुवादक (अनुबंधात्मक आधार) के लिए प्रस्तावित
क)	अधिकतम आयु	56 वर्ष से अधिक न हो
ख)	शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषय के साथ स्नातक डिग्री 2. हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट 3. कंप्यूटर एप्लीकेशनस की जानकारी
ग)	अनुभव	अनिवार्य: हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य में 2 वर्ष का कार्यानुभव

- 1) पारिश्रमिक: 30,000/- प्रति माह (मासिक पारिश्रमिक के रूप में)
- 2) हिंदी अनुवादक के लिए अनुबंधात्मक नियुक्ति की अवधि पद ग्रहण करने की तारीख से 1 वर्ष तक की होगी
- 3) आईटीपीओ के निर्णय अनुसार अनुबंध की अवधि को बढ़ाया/घटाया जा सकता है सेवाओं को बिना किसी सूचना के/कारण बताए समाप्त किया जा सकता है
- 4) अर्जित आय, चिकित्सीय अवकाश, चिकित्सा भता, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, अवकाश यात्रा रियायत, सीपीएफ, एचआरए या किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि इसमें स्वीकार्य नहीं है
- 5) इयूटी से अनुमत अवकाश से अतिरिक्त अनुपस्थिति के मामले में, अनुपस्थिति की अवधि के अनुसार वेतन से अनुपातिक राशि की कटौती की जाएगी
- 6) अनुबंध के सम्बन्ध में किसी भी तरह के अंतर या विवाद के मामले में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीपीओ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा
- 7) पद ग्रहणकर्ता अन्य छुट्टियों के अलावा प्रति माह सेवा देने पर एक दिन की आकस्मिक छुट्टी लेने का हकदार है

दिनांक 11/09/2020 से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन तक वैध है

कृपया आवेदन उप प्रबन्धक(प्रशासन), इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, ई -1 अनुभाग, हाल नंबर 9, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 को भेजे


(कर्नल पुष्पम् कुमार, एस.एम.)
विशेष कार्याधिकारी (प्रशासन)